रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2005/आषाढ़ 14, 1927
No. 297] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2005/ASADHA 14, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2005

सं. 61/2005-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 454(अ).—अभिहित प्राधिकारी, ने, कोरिया आर०पी० और जर्मनी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात विषयगत देश भी कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय सं0 40 के अंतर्गत आने वाले, एक्रिलोनाइट्रायल ब्युटाडाइन रबर (जिसे इसमें इसके पश्चात एनबीआर कहा गया है), के आयात के मामले में, अधिसूचना सं0 50/1/2001-डीजीएडी द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 21 सितम्बर, 2002 में प्रकाशित, अपनी समीक्षा में, इस निर्णय पर पहूंचे थे कि-

(क) कोरिया आर०पी० और जर्मनी में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित एनबीआर का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है;

(ख) भिन्न भिन्न आर्थिक सूचको और क्षति के मापदंडों, विशेषकर प्रतिपाटित आयात के कारण मूल्य ह्रास, से प्रतीत होता है कि कोरिया आर०पी० और जर्मनी के एनबीआर पर प्रतिपाटन शुल्क हटा देने पर प्रतिपाटन और क्षति की पुनरावृति/जारी रह सकती है; और

(ग) एनबीआर पर प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने की अनुशंसा की है

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा0का0नि0 697 (अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2002 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 अक्तूबर, 2002 में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 111/2002-सीमाशुल्क, तारीख 10 अक्तूबर, 2002 द्वारा प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था;

और सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर एपिलेट ट्रिब्यूनल (जिसे इसके पश्चात "ट्रिब्यूनल" कहा गया है), मैसर्स पूनीत रेसिन्स और अन्य के मामले में, अपने अंतिम निर्णय संख्या 14-18/04-ए0डी0 तारीख 1 जुलाई, 2004 में, जो कि अपील सं0 सी/260/02 एडी, सी/596/02 एडी, सी, 687/02 एडी, सी/14/03 एडी

और सी/125/03 एडी में सुनाई गई थी, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ' अधिसूचना सं0 111/2002-सीमाशुल्क तारीख 10 अक्तूबर, 2002 के क्रम सं0 1 में, कोरिया कुम्हो पेट्रोकैमिकल कं0 लिमिटेड से संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जायेगा और कोरिया आर0पी0 से मैसर्स कोरिया कुम्हो पेट्रोकैमिकल कं0 लिमिटेड द्वारा निर्यात किया गया एक्रिलोनाइट्रायल ब्युटाडाइन रबर के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का दर अमरीकी डालर 106.16 प्रति मीट्रिक टन होगा ।;

और अभिहित प्राधिकारी ने ट्रिब्यूनल का उपरोक्त निर्णय स्वीकार कर लिया है और अपने उपरोक्त अंतिम निष्कर्ष से संबंधित शुद्धि पत्र तारीख 26 अक्तूबर 2004 जारी किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अथवा अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी उपरोक्त शुद्धि पत्र के आधार पर अधिसूचना 111/2002-सीमाशुल्क, तारीख 10 अक्तूबर, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

क्रम सं0	देश का नाम	उत्पादक / निर्यातक	रकम (अमरीकी डालर/मीट्रिक टन
(1)	(2)	(3)	(4)
" 1.	कोरिया आर0पी0	हुंडाई पेट्रोकैमिकल कं0 लि0	1908.28
		मैसर्स कोरिया कुम्हो पेट्रोकैमिलकल कं0 लिमिटेड (केकेपीसी) को छोड़कर और सभी निर्यातक/उत्पादक	1908.28 ";

(ii) सारणी के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

परन्तु कोरिया कुम्हो पेट्रोकैमिकल कं0 लिमिटेड (केकेपीसी) द्वारा निर्यात किया गया, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले एक्रिलोनाइट्रायल ब्यूटाडाइन रबर के भारत में आयात पर प्रतिपाटन शुल्क का दर अमरीकी डालर 106.16 प्रति मीट्रिक टन होगा ।

[फा. सं. 354/179/2002-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 687 (अ) तारीख 10 अक्तूबर,, 2002 द्वारा प्रकाशित हुई थी ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th July, 2005
No. 61/2005-CUSTOMS

G.S.R. 454(E).— Whereas in the matter of import of acrylonitrile butadiene rubber (hereinafter referred to as NBR), falling under Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Korea RP and Germany (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority vide its sunset review findings, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, vide notification No. 50/1/2001-DGAD, dated the 21st September, 2002, had concluded that-

(a) NBR originating in, or exported from, Korea RP and Germany have been exported to India below its normal value;

(b) various economic indicators and injury parameters in particular price cutting by dumped imports imply that the cessation of anti-dumping duty on NBR from Korea RP and Germany will lead to continuance or recurrence of dumping and injury; and

(c) has recommended for continuation of anti-dumping duty on NBR.

And whereas on the basis of the aforesaid sunset review findings of the designated authority, the Central Government has imposed anti-dumping duty vide notification No. 111/2002-Customs dated the 10th October, 2002 [G.S.R. 697(E) dated the 10th October, 2002], published in part II, section 3, sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th October, 2002.

And whereas the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (hereinafter referred to as the Tribunal), in its final order No. 14-18/04-AD dated the 1st July, 2004, in Appeals No.C/260/02-AD, No.C/596/02-AD, No. C/687/02-AD, No.C/14/03-AD and No.C/125/03-AD in the matter of M/s. Puneet Resins and others, has ordered that " the entry in Sl. No. 1 in notification No. 111/2002-Customs dated the 10th October, 2002 relating to M/s Korea Kumho Petrochemical Co. Ltd shall remain deleted and all imports of acrylonitrile butadiene rubber into India from Korea RP and exported by M/s Korea Kumho Petrochemicals Co. Ltd shall be subjected to anti-dumping duty at the rate of US $ 106.16 per metric tonne."

And whereas the designated authority has accepted the above order of the Tribunal and has issued a corrigendum dated the 26th October, 2004, vide No. 50/1/2001-DGAD to the aforesaid review findings.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the above corrigendum issued by the designated authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 111/2002- Customs dated the 10th October, 2002, namely:-

In the said notification,-

(i) in the Table, against S.No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of Country	Exporter/ producer	Amount (US$/MT)
(1)	(2)	(3)	(4)
" 1.	Korea R P	Hyundai Petrochemical Co. Ltd	1908.28
		All other exporters/producers except Korea Kumho Petrochemical Co. Ltd (KKPC)	1908.28 ";

(ii) after the Table, the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided that anti-dumping duty at the rate of US$ 106.16 per MT shall be imposed on all grades of acrylonitrile butadiene rubber, falling under Chapter 40 of the said Customs Tariff Act, exported by Korea Kumho Petrochemical Co. Ltd (KKPC), and imported into India.

[F. No. 354/179/2002-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 697(E), dated the 10th October, 2002.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2005

सं. 30/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 455(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 62/95- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 16 मार्च, 1995 में, जो भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 254 (अ) तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम **सं0 17 के** पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थातः-

क्रम सं0	माल का विवरण	शर्तें
(1)	(2)	(3)
" 18	इंटरनल कॉमबस्टयन इंजिन के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आने वाले पुर्जे	यदि इनका निर्माण भारतीय रेलवे की किसी फैक्ट्री द्वारा किया गया है तथा इनका प्रयोग रेलवे लोकोमोटिव के इंटरनल कॉमबस्टयन इंजिन की रिकंडीशनिंग हेतु भारतीय रेलवे या उसकी अंडरटेकिंग द्वारा किया गया है । "

[फा. सं. 354/6/2005-टीआरयू]

अजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा0 का0 नि0 254 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित हुई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं0 16/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003 [सा0का0नि0 146 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2005

No. 30/2005-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 455(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62/95-Central Excise, dated the 16th March, 1995, which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 254 (E), dated the 16th March, 1995, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No. 17 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

S.No.	Description of goods	Conditions
(1)	(2)	(3)
"18.	Parts of internal combustion engines falling under any Chapter	If manufactured by a factory belonging to the Indian Railways, and used for reconditioning internal combustion engines of railway locomotives by the Indian Railways including its undertakings."

[F. No. 354/6/2005-TRU]

AJAY, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (i), Extraordinary, vide number G.S.R 254 (E), dated the 16th March, 1995, and last amended by notification No.16/2003-Central Excise, dated the 1st March, 2003, and published vide number G.S.R.146 (E), dated the 1st March, 2003.

2017 Gi 1/25-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.